राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग
(ग्रुप–3)

क्रमांक प.6(57)/प्र.सु./अनु.3/2004(3)/ जयपुर, दिनांक 15.02.2007

आज्ञा

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.10.2004 द्वारा गठित परियोजना अनुमोदन समिति (Project Approval Committee) का नाम इस आदेश द्वारा राज्य ई–प्रशासन लक्ष्य दल (State e-Governance Mission Team) किये जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदया द्वारा प्रदान की जाती है। इस आदेश द्वारा राज्य सूचना अधिकारी (State Informatics Officer), नेशनल इनफोरमेटिक सेन्टर (एन.आई.सी) को पूर्व में नामित सदस्यों के अतिरिक्त राज्य ई–प्रशासन लक्ष्य दल में सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाता है। अतः राज्य ई–प्रशासन लक्ष्य दल (State e-Governance Mission Team) का निम्नानुसार गठन एतद् द्वारा किया जाता हैः–

1.	प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	अध्यक्ष
2.	प्रमुख शासन सचिव, (वित्त) अथवा मनोनीत प्रतिनिधि	सदस्य
3.	संबंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिव / सचिव	सदस्य
4.	शासन सचिव, योजना	सदस्य
5.	संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष	सदस्य
6.	प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से मनोनित प्रमुख तकनीकी संस्थओं, तकनीकी के दो विशेषज्ञ (जैसे IIT, BITS, Pilani, LNMIT etc.)	विशेष आमंत्रित
7.	राज्य सूचना अधिकारी (State Informatics Officer), नेशनल इनफोरमेटिक सेन्टर (एन.आई.सी)	सदस्य
8.	निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	सदस्य सचिव

पूर्व में जारी आदेश में वर्णित कार्यो के अतिरिक्त राज्य ई–प्रशासन लक्ष्य दल (State e-Governance Mission Team) निम्नलिखित कार्य भी सम्पादित करेगीः–

कृ.प.उ.

1. मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को अनुमति देना
2. सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को बनाने में विभिन्न विभागों को सहायता उपलब्ध कराना
3. शीर्षस्थ समिति के लिए तकनीकी सचिवालय के रूप में कार्य करना
4. सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के लिए सामर्थ्य विकसित योजनाओं का क्रियान्वयन
5. प्रापण एवं अनुबन्ध प्रबन्धन
6. वित्तीय प्रबन्धन एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करना

राज्य ई–प्रशासन लक्ष्य दल का प्रशासनिक विभाग सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग होगा।

आज्ञा से,

उपशासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदया, राजस्थान, जयपुर
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
4. समस्त प्रमुख शासन सचिवगण, राजस्थान, जयपुर
5. प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर
6. सचिव, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, इलेक्ट्रोनिक निकेतन, नई दिल्ली
7. समस्त संभागीय आयुक्त
8. समस्त शासन सचिवगण, राजस्थान, जयपुर
9. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान, जयपुर
10. समस्त जिला कलैक्टर, राजस्थान
11. उपशासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान, जयपुर
12. उपशासन सचिव, वित्त (व्यय–I, II, III एवं IV)
13. राज्य सूचना अधिकारी (State Informatics Officer), नेशनल इनफोरमेटिक सेन्टर (एन.आई.सी), राजस्थान, जयपुर
14. निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर को आज्ञा की अतिरिक्त प्रतियॉ संबंधित सदस्यों हेतु प्रेषित है।
15. रक्षित पत्रावली

उपशासन सचिव